2102
Alok Kr. Dubey

13 DEC 2023

बिक्रय पत्र)

(1) लेख्यकारी का नाम वो पूरा पता :-

श्रीमती सुनैना देवी पति श्री सकलदीप प्रजापति, कानू जाति–पिछड़ा वर्ग–II (सी0एन0टी0 एक्ट 1908 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है), निवास ग्राम–चड्डी सिन्दुरिया, पोस्ट झाबर, थाना– मेदिनीनगर, जिला– पलामू, राज्य–झारखण्ड, पेशा गृहिणी, भारतीय। ....बिक्रेता।

आधार नं0 XXXX XXXX 3639 Pan No. EMHPD4262E

(2) लेख्यधारी का नाम वो पूरा पता :-

श्रीमती अंजू कुमारी पति श्री नीरज कुमार, कानू जाति–पिछड़ा वर्ग–II (सी0एन0टी0 एक्ट 1908 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है), निवास ग्राम एवं पोस्ट– गुरूआ, थाना–लेस्लीगंज, जिला–पलामू, राज्य– झारखण्ड, पेशा गृहिणी, नागरिकता भारतीय। .... क्रेता।

आधार नं0 XXXX XXXX 7718 Pan No. DMIPK9035E

Scanned with CamScanner

(3) लेख्य प्रकार :— बिक्रय पत्र केवाला (**Sale Deed**)।

(4) देय मूल्यः—मो0 9,50,000 (नौ लाख पचास हजार रुपये)।
बाजार भावः— मो0 9,50,000 (नौ लाख पचास हजार रुपये)।
आवासीय दरः— 281930 प्रति डी0।

(5) सम्पति :— मवाजी 03$\frac{1}{4}$ (तीन पुर्णाक एक बट्टा चार) डी0 जमीन जो गृह निर्माण हेतु योग्य आवासीय है। हसब तफसील जैल वाके मौजा—रेड़मा, थाना—मेदिनीनगर, जिला पलामू, निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर हकियत खरीदगी रैयती भूमि को बिक्री करते है। जो सी0एन0टी0 एक्ट की भूमि से बाहर है। जिसका भूमि धारण प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय मेदिनीनगर द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या 437 दिनांक 2.12.2023 द्वारा प्राप्त है।

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	वार्ड नं0	हो0नं0
रेडमा	188	91B	01	19	3545 नगर निगम हो0 नं0 19A0000049000M0

खाता नं0	प्लौट नं0	रकवा	चौहदी
68 (अडसठ)	2102 (इक्कीस सौ दो)	03$\frac{1}{4}$ (तीन पुर्णाक एक बट्टा चार) डी0	उ0—10 फिट रास्ता पुर्व से इसी प्लौट में द0—नीरज तिवारी पु0—प्रमिला देवी प0—कुन्जेश्वरी देवी

कुल खाता 01, कुल प्लौट 01, रकबा 03$\frac{1}{4}$ (तीन पुर्णाक एक बट्टा चार) डी0 जमीन का बिक्री किए है।

जमीन का पैमाईस

उतर से दक्षिण पूरब तरफ 53 फिट 6 इंच

उतर से दक्षिण पश्चिम तरफ 56 फिट

पूरब से पश्चिम उतर तरफ 25 फिट

[illegible]

नाम मालिकः— झारखण्ड सरकार वजरीये सी0 ओ0

अंचल मेदिनीनगर जिला पलामू

<u>मालगुजारी</u>— मो0 (01) एक रूपये अलावे शेष।

विदित हो कि सम्पति खाना नं0 05 की भूमि को मैंने दिनांक 23.08.2004 ई0 को बदस्त श्री रंजन तिवारी से खरीद किया था। जिसका बुक नं0 01 भौलूम नं0 220 पेज नं0 219/234 वो डीड नं0 9215 सन् 2004 ई0 है। जिसका डिमाण्ड ज0 नं0 3545 में मेरा नाम दर्ज होकर रसीद कटती चली आ रही है। जिसपर मै। दखल कब्जा में हूँ वो चली आती हूँ। इस वक्त मुझे रूपये के जरूरी वास्ते खरीदने जमीन अपने लहाव के लिए था तो मैं लेख्यधारी से पहले ही उक्त भूमि का सौदा तय करके अपने पूर्व के बिक्रेता प्रेमलता पाण्डेय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा सासाराम का खाता नं0 846000105068257 में मेरे लेख्यकारी के कहने पर आज के क्रेता से पैसा (रूपया) दिया गया था। जिसके एवज् में आज जमीन को बिक्री क्रेता के नाम से किया। वो बिक्रय पत्र केवाला लिखा। वो आज से मैं अपना सारा दखल कब्जा के अधिकार क्रेता अंजू कुमारी को दे दिया।

अब चाहिए की खरीददार खुद मय वारीशान उक्त भूमि पर कायम रहकर अपना मकान बनावे, हाता दिलवावे वो जैसा भी चाहे भोग करे। उससे मुझे वो मेरे वारीशान को कोई सरोकार नहीं रहा। साथ ही यह सम्पति हर तरफ से पाक वो साफ है। तथा भार मुक्त है। इस सम्पति पर आज तक मैंने किसी प्रकार का कोई वारदैन नहीं किया है। साथ ही इस भूमि पर आज तक जो भी हक वो हकियत वो दखल कब्जा वो स्वामित्व मुझे प्राप्त था या आइन्दे हासिल होता सो तमाम कुल वहीं हक वो हकियत वो दखल कब्जा वो स्वामित्व आज से ही क्रेता खुद मय वारीशान को प्राप्त हुआ वो आइन्दे भविष्य में भी

Scanned with CamScanner

वो खरीददार व सिरिस्ते मालिक अपना नाम दर्ज कराकर मालगुजारी दिया करें वो साल व साल का रसीद प्राप्त किया करे। वो तकाजूल बदलैन फरीकैन के अमल में आया मूल्य का कुल रूपया वसुल पा चुके है।

इसलिए मैं अपनी राजी खुशी से अपना नफा वो नुकशान को व खुबी सोच समझकर यह बिक्रय पत्र केवाला लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

तारीखः– 12.12.2023

अंजु कुमारी

दस्तावेज लिपिक
ला० न० – 92/2003
मेदिनीनगर (पलामू)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका फोटो दस्तावेज में लगा है के बाए हाथ की अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिए गए है। वो पक्षकारों के ही निर्देशन पर मजमुन तैयार किया गया। सही पक्षकार ही है।

कातिब: [illegible]

ता: 12/12/2023